

7/1/26

SPP उपा. अधि. सम्मेलन अनु. ६/५२.
ए. नामी पेशा की जो कलम के लिए
स्वीकार की जाती है, गवाह सं. ३२ को
नर-डाकडुका मृत्यु पुष्टा नल पुष्टा नहीं
हूँ। पुनः तलब हो। गवाह सं. ३३
जो पूर्वानुसार Alw सं. तथा गवाह सं. १९
को 131w ५००० में से तलब किया जाता
पुष्टा में मूलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश
नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टा
करने हेतु S.P. २ जोयुल तथा T. I.
जोयुल को पुष्ट - पुष्ट नल पुष्ट हो।
नवाबली कार्रवाई समुप अधिपतेवर
दिनांक १७/१/२६ को पेश हो।
२५

जाली

विशिष्ट न्यायाधीश
अ०जा०/ज०जा (अ०नि०) प्रकरण
बासं (राज०)